



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-23/2019-1074 दिनांक : 2/12/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा /
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु **रु0 48.007 (अड़तालीस लाख सात सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- इस कार्यालय का उप-आवंटन आदेश संख्या-01/यो0ब0-23/2019-947 दिनांक-30.09.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पूर्व में उप-आवंटित राशि के अतिरिक्त वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु **रु0 48.007 (अड़तालीस लाख सात सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789400103	34.102
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789400323	13.905
कुल :-		48.007

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक-1**, स्थल विवरणी **अनुलग्नक-2** पर तथा ऑन लाईन उप-आवंटन **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है ।


3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान केवल मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर योजना के कार्यान्वयन के पूर्व उनके द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा ।

5. पूर्व उप-आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप-आवंटन है। पूर्व उप-आवंटन के सभी शीर्ष, शर्त एवं कार्यदर यथावत रहेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


विश्वासभाजन,


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-23/2019-1074 दिनांक- 2/12/19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-23/2019-1074 दिनांक- 2/12/19



प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा / हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 249.83 प्रति मानव दिवस)


क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	2019-20 (अग्रिम कार्य) (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
प्रसार वानिकी					
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	55	17.863	7.284	25.147
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	50	16.239	6.621	22.860
योग:-		105	34.102	13.905	48.007


 प्रधान ~~मुख्य~~ वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।


वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	सा० वा० प्रक्षेत्र, कोडरमा	चंदवारा		कौआवार	चन्दवारा-236		373, 374, 375, 376P	55
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	सा० वा० प्रक्षेत्र, हजारीबाग	कटकमसांडी		कंडसार	कटकमसांडी-55	N24° 03'22.2" E85° 15'17.6"	3P, 43, 23	50
									105

योग :-


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-23/2019/1074

दिनांक - 02-Dec-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	75536	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	1,786,300.00 रुपये सत्रह लाख छियासी हजार तीन सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	75537	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	1,623,900.00 रुपये सोलह लाख तेइस हजार नौ सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	75538	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	728,400.00 रुपये सात लाख अठाइस हजार चार सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			

4,138,600.00

योग:


क्रमिक योग:

रुपये इकतालीस लाख अड़तीस हजार छः सौ

(SRI VIKRAM KISHOR GAUR IFS)

PCCF,DEV,JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	75539	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	662,100.00 रुपये छः लाख बासठ हजार एक सौ



योग:

662,100.00

क्रमिक योग:

रुपये अड़तालीस लाख सात सौ

4,800,700.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF,DEV.JHARKHAND RANCHI